

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—33 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. जनकू उर्फ मुलायम पुत्र पाटन दीन नि० मुड़कुड़ा खटिकन पुरवा थाना इटियाथोक जनपद के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—307/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अशोक कुमार पुत्र सिद्धनाथ नि० ललक पुरवा थाना खरगपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—153/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. विद्यावती पत्नी स्व० चन्द्रिका नि० केवलपुरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—224/20, 02. रामकुमारी पत्नी रामदेव प्रसाद नि० पटान पुरवा मौजा पारा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—225/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राज कुमार पुत्र जगदेव प्रसाद नि० पटान पुरवा मौजा पारा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—341/20, 02. संजय कुमार पुत्र प्रेमनाथ नि० सदियापुर बालपुर जाट थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—342/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राज बहादुर सिंह पुत्र हनुमान सिंह नि० मोहना मलंग पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—248/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**06. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. मोती कश्यप पुत्र हीरा लाल नि० देवरिया मद्दो थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—222/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**07. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राम शरन उर्फ बाउर पुत्र समयदीन नि० मिश्रनपुरवा मौजा बाबूपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—206/20, 02. माधवराज उर्फ चिन्ताराज कश्यप नि० जयराम नि० कर्मी बरवलिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—207/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**08. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राम सूरत पुत्र राम दुलारे नि० देवरहना थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—313/20, 02. विकास पुत्र स्व० मेवा लाल सोनकर नि० महुआडीह थाना मनकापुर जनपद

गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-314/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **09. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्रवाही-**

01. मुन्ना निषाद पुत्र चन्द्रभान निषाद नि0 कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-372/20, 02. जसवन्त पुत्र बासदेव नि0 समेरा सेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-373/20, 03. मालिक राम निषाद पुत्र घिसियावन नि0 मजहनपुरवा मौजा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-374/20, 04. प्यारे पुत्र राम अवतार नि0 बनगाँव भैंसापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-375/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **10. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्रवाही-**

01. बाबू पुत्र सुमिरन नि0 लमुहिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-362/20, 02. रिंकू पुत्र हंसराज सोनकर नि0 काजी तरहर मौजा सराय जरगर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-363/20, 03. दिनेश कुमार पुत्र छविलाल नि0 रसूलपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-364/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **11. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्रवाही-**

01. राजू पुत्र स्व0 ननके सोनकर नि0 नेपाल पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-653/20, 02. जग प्रसाद पुत्र राम लोऊर नि0 ठाकुर पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-655/20, 03. खुशीराम सोनकर पुत्र रामजस नि0 करियापुरवा जानकी नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-658/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **12. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्रवाही-**

01. नन्हें पुत्र शिव प्रसाद नि0 भौरहा वीरापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-313/20, 02. संतोष पुत्र राम संवारे बखरौली थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-314/20, 03. राम कुमार पुत्र राम करन नि0 टैरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-315/20, 04. माता प्रसाद पुत्र सुमिरन नि0 पायरखास थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-316/20, 05. तिलक राम पुत्र गंगा राम नि0 बखरौली थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-318/20, 06. राम प्रसाद पुत्र जवाहिर नि0 महरा गौरा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-319/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **13. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्रवाही-**

01. बच्चन सोनकर पुत्र जदी नि0 खटिकन पुरवा डुमारियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-262/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## 01 अवैध तमंचा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. बुद्धिसागर यादव पुत्र भगवान दास नि० गोपालजोत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—154/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 06.09.2020 को थाना कौड़िया के उ०नि० राकेश सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को जमत्था रेलवे कासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया। अभियुक्त को थाना कौड़िया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० राकेश सिंह।
02. का० मिथलेश यादव।

## चोरी की 02 अदद मोटरसाईकिल, 01 अदद अवैध तमंचा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजेन्द्र यादव पुत्र राममिलन यादव नि० मठन्न मौजा बनूवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 02 अदद चोरी की मोटरसाईकिल।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—249/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—250/20, 411.413 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

### अनावरित अभियोग—

01. मु०अ०सं०—244/20, धारा 379 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 02.09.2020 को वादी धनलाल गुप्ता पुत्र स्व० माता प्रसाद नि० आदमपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा की मोटरसाईकिल पसका सरयू घाट से चोरी हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा परसपुर में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस ने सुरागरसी—पतारसी कर प्रकाश में आये उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 06.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गयी बाइक, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व निशानदेही से 01 अदद अन्य चोरी की बाइक बरामद की गयी। अभियुक्त को थाना परसपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० उमेश कुमार वर्मा।
02. अजय कुमार पाण्डेय।
03. का० विकास कुमार वर्मा।

**सराहनीय कार्य**  
**दिनांक 06.09.2020**  
**पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा**

➔ **अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—:**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

01. निर्मल कोरी पुत्र मेहीलाल नि० ग्राम मऊ थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी विवरण—**

01. 02 अदद तमंचा 315 बोर
02. 01 अदद तमंचा 12 बोर
03. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
04. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
05. शस्त्र बनाने के उपकरण।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-315/20, धारा 3/5(1)/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

**घटना का संक्षिप्त विवरण –**

जनपद गोण्डा में अवैध शस्त्र की तस्करी व उनके निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों व स्वाट टीम को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर व स्वाट की संयुक्त टीम ने अवैध असलहो के निर्माण व बिक्री में संलिप्त 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

आज दिनांक 06.09.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण में संलिप्त **निर्मल कोरी** भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का कार्य अपने घर ग्राम मऊ में कर रहा है। मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर थाना मनकापुर व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा दबिश देकर उक्त अभियुक्त को **गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने के उपकरण बरामद किये गये।**

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह काफी दिनों से अपने घर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री लगा रखी है और वहीं से असलहो का निर्माण कर बिक्री करता है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मनकापुर पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. उ०नि०संजीव कुमार।
02. उ०नि० डिग्री प्रसाद गौतम।
03. हेड का० श्रीनाथ शुक्ला।
04. का० मुलायम यादव।
05. आ० अजीत चन्द्र।
06. का० अजीत यादव।

**सराहनीय कार्य**  
**दिनांक 06.09.2020**  
**पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा**

**थाना को0 नगर क्षेत्र के अन्तर्गत हुए आवास विकास कालोनी हत्याकाण्ड का आरोपी मात्र 16 घण्टे में गिरफ्तार—**

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. पंकज यादव पुत्र स्व राममूर्ति यादव नि0 मा0नं0—517 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0— 657/20, धारा 302.307 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. आलाकत्ल बरामद।

**संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 05.09.2020 को उक्त अभियुक्त ने परिवारिक विवाद को लेकर अपनी भाभी, माँ, भतीजो व पड़ोसी के ऊपर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर दिया था। जिससे अभियुक्त की भाभी श्रीमती रेनु यादव की जिला अस्पताल में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राजकरन नय्यर मय पुलिस बल के मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा टीम गठित कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक को0 नगर को निर्देश दिये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक को0 नगर द्वारा आज दिनांक 06.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को मात्र 16 घण्टे में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. प्रभारी निरीक्षक को0 नगर आलोक राव।
02. व0उ0नि0 श्री बृजानन्द सिंह।
03. उ0नि0 श्री गोपाल सिंह।
04. का0 धर्मेन्द्र कुमार।
05. का0 जितेन्द्र कुमार राणा।